न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 47/2024 G.C.M.S. No. 2024/241 दर्ज दिनांक : 26.06.2024

अपीलार्थिगण:

1. गोमाराम पुत्र श्री खुमाराम
2. भगाराम पुत्र श्री खुमाराम, जाति सीरवी, निवासी ग्राम–डूंगरली, तहसील बाली, जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. घीसुलाल पुत्र श्री पन्नाराम, जाति सीरवी, निवासी ग्राम डूंगरली, तहसील बाली, जिला पाली(राजस्थान)
2. पुखराज पुत्र श्री नेमाराम
3. दिनेश पुत्र श्री नेमाराम
4. दिलीप पुत्र श्री नेमाराम
5. श्रीमति नाजू पत्नी श्री नेमाराम, जातिगण सीरवी, निवासीगण ग्राम डूंगरली, तहसील बाली, जिला पाली
6. श्रीमति बगी पुत्री श्री नेमाराम, धर्मपत्नी श्री दुदाराम, जाति सीरवी, निवासी माताजी गली, मुण्डारा, तहसील बाली, जिला पाली राजस्थान।
7. श्रीमति छोगी पुत्री श्री जीवाराम, धर्मपत्नी श्री मानाराम, जाति सीरवी, निवासी मोरखा, तहसील देसूरी, जिला पाली राजस्थान।
8. श्रीमति जम्मू, पत्नी श्री जीवाराम,
9. नवीन पुत्र श्री जीवाराम
10. मोहन पुत्री श्री जीवाराम
11. सखाराम पुत्र श्री जीवाराम
12. डुंगाराम पुत्र श्री शोभाराम
13. वगाराम पुत्र श्री शोभाराम
14. मूलाराम पुत्र श्री तलाराम
15. पकाराम पुत्र श्री जेठाराम
16. पुराराम पुत्र श्री जेठाराम
17. श्रीमति फुली पत्नी श्री पनाराम
18. सेहनलाल पुत्र श्री पनाराम
19. श्रीमति सुखी पत्नी श्री खंगारराम, जातिगण सीरवी, निवासी ग्राम डूंगरली, तहसील बाली, जिला पाली, राजस्थान।
20. श्रीमति कन्या पुत्री श्री पनाराम, धर्मपत्नी श्री मूलाराम, जाति सीरवी, निवासी ग्राम दांतीवाडा, तहसील बाली, जिला पाली राजस्थान।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:48 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

21. श्रीमति कंकू पुत्री श्री पनाराम, धर्मपत्नी श्री ईदाराम, जाति सीरवी, निवासी राजपुरा, सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली, राजस्थान।

22. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसील बाली, तहसील बाली, जिला पाली राजस्थान।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध श्री उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 जो प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस नंबर 2024/3 प्रार्थी घीसुलाल बनाम अप्रार्थीगण गोमाराम व अन्य में पारित किया गया है, उस आदेश को निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित–

श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, श्री चेतन आगरी, श्री सी.पी. वैष्णव विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सलीम कुरैशी, विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

शेष प्रत्यर्थिगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 08.10.2024

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या जी0सी0एम0एस0 संख्या 2024/3 बअनवान घीसुलाल बनाम गोमाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 21 बावजूद सूचना अनुपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ग्राम–डूंगरली, पटवार हल्का सेवतलाव, तहसील बाली, जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 0.5300 हैक्टेर, किसम चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 101 रकबा 0.2000 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव सोयम, खसरा नंबर 102 रकबा 1.5900 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 138 रकबा 0.2900 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 139 रकबा 0.5300 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 140 रकबा 1.0000 हैक्टर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 85 रकबा 2.6600 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 87 रकबा 2.6300 हैक्टेर, किस्[illegible]म व जाव दोयम, खसरा नंबर 89 रकबा 1.6700 हैक्टेर किस्म चाही [illegible] खसरा नंबर 99 रकबा 1.7400 हैक्टेर किस्म चाही द[illegible] रकबा 12.8400 हैक्टेर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा [illegible]न कराने बाबत् अनुतोष चाहा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ग्राम–डूंगरली, पटवार हल्का सेवतलाव, तहसील बाली, जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 0.5300 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने बाबत् अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलांट्स की कब्जाशुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 0. 5300 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम के संबंध में जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 03.01.2024 को एकपक्षीय सुनवाई करते हुए रेस्पोडेन्ट के पक्ष में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 100 के संबंध में अंतरिम व्यादेश पारित करते हुए अपीलांट्स के निर्माण कार्य को आगामी पेशी तक रोके जाने हेतु आदेश पारित करते हुए मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत् आदेश पारित किया गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक मुण्डारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त मौका रिपोर्ट जैर अपील आदेश पारित किये जाने की दिनांक तक पेश नहीं की गई। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक वस्तुस्थिति रेकर्ड पर लाये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विधिवत् जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में मौके पर सभी सह–खातेदारान् आपसी सहमति से अलग–अलग कब्जा व काश्त कर रहे हैं एवं सभी के मौके पर रहवास हेतु पक्के मकानात् बने हुए हैं। अपीलांट्स द्वारा भी अपने कब्जे व हक–हिस्से में कृषि कार्य करने की सुविधा हेतु मौके पर रहवास हेतु व कृषि सामग्री रखने हेतु कच्चा निर्माण किया हुआ था, उसी जगह पर पुनः पक्का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो अन्य सहखातेदारान् की सहमति से किया जा रहा था। जिसको रूकवाने का रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कोई हक–अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि पर अन्य सभी सह–खातेदारान् एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्राकृतिक पिता मूलाराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके भाई मोहन पुत्र मूलाराम का मौके पर मकान रहवास हेतु बने हुए है एवं इसी खसरे में अन्य खातेदार नवीन, मोहन, सकाराम पिसरान् जीवाराम जिनके मकान का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है एवं आज भी कार्य चालू है। जिसके संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कभी कोई आपत्ति नहीं की गई हैं। जिसके फोटोग्राफ संलग्न पेश किया जा रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 14 का जायन्दा पुत्र है एवं हाल ही में रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से जमीन [illegible] के अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाया है, ऐसी स्थिति में [illegible] दारान् था एवं न ही उसे अपीलांट्स को [illegible] में किये जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में कोई आपत्ति पेश करने का अधि[illegible] था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब को दरकिनार करते हुए जैर अपील आदेश के संबंध में बिना किसी विधिक विवेचना किये जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट रेकर्ड पर मंगवाई जानी आवश्यक थी एवं उसके पश्चात दोनों पक्षकारान् के अधिवक्ताओं की बहस को सुनने के पश्चात् प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु को विस्तृत रूप से विधिवत विवेचन व तय करते हुए कानूनन आदेश पारित किया जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों बिन्दुओं के संबंध में किसी प्रकार का विवेचन दिये बिना मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया। जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ग्राम–डूंगरली, पटवार हल्का सेवतलाव, तहसील बाली, जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 0.5300 हैक्टेर, किसम चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 101 रकबा 0.2000 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव सोयम, खसरा नंबर 102 रकबा 1.5900 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 138 रकबा 0.2900 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 139 रकबा 0.5300 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 140 रकबा 1.0000 हैक्टर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 85 रकबा 2.6600 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 87 रकबा 2.6300 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 89 रकबा 1.6700 हैक्टेर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा नंबर 99 रकबा 1.7400 हैक्टेर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, कुल रकबा 12.8400 हैक्टेर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने बाबत् अनुतोष चाहा एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ग्राम–डूंगरली, पटवार हल्का सेवतलाव, तहसील बाली, जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 0.5300 हैक्टेर, किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, के संबंध में प्रस्तुत कर अपीलांट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने बाबत् अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 03.01.2024 को अपीलांट्स के विरूद्ध अंतरिम व्यादेश पारित कर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ग्राम–डूंगरली, पटवार हल्का सेवतला[illegible] बाली, जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 0.5300 हैक्टेर [illegible] 60 = 3000 वर्गमीटर पर अपीलांट के बन रहे पक्के [illegible] का आदेश पारित किया गया एवं भू–अभिलेख, निरीक्षक–मुण्डारा को मौका [illegible]श्नर नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 100 के संबंध में मौका स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट आगामी पेशी तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना में वर्णित संपूर्ण वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 03.01.2024 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किये जाने बाबत् जैर अपील आदेश पारित किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील के अन्तर्गत मुख्य कथन यह किये हैः–(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादग्रस्त भूमि की वास्तविक वस्तुस्थिति के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारित किये जाने के पश्चात् भी उक्त मौका रिपोर्ट को रेकर्ड पर लिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। (2) वादग्रस्त भूमि पर अन्य सभी सह–खातेदारान् एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्राकृतिक पिता मूलाराम एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके भाई मोहन पुत्र मूलाराम का मौके पर मकान रहवास हेतु बने हुए है एवं इसी खसरे में अन्य खातेदार नवीन, मोहन, सकाराम पिसरान् जीवाराम जिनके मकान का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है एवं आज भी कार्य चालू है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 03.01.2024 को अपीलांट्स के विरूद्ध अंतरिम व्यादेश पारित कर वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ग्राम–डूंगरली, पटवार हल्का सेवतलाव, तहसील बाली, जिला पाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 0.5300 हैक्टेर, पर 50*60 = 3000 वर्गमीटर पर अपीलांट के बन रहे पक्के निर्माण कार्य को रोके जाने का आदेश पारित किया गया एवं भू–अभिलेख, निरीक्षक–मुण्डारा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 100 के संबंध मे मौका स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट आगामी पेशी तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।किन्तु इसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि के संबंध में उक्त मौका रिपोर्ट जैर अपील आदेश पारित किये जाने तक भू–अभिलेख, निरीक्षक–मुण्डारा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई एवं न इस रिपोर्ट के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में किसी प्रकार का अंकन है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में वास्तविक वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख, निरीक्षक–मुण्डारा द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वास्तविक वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब के साथ व[illegible] पर बने मकानों के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है। उक्त [illegible] भूमि पर सह–खातेदार खंगारराम पुत्र पेमाजी, [illegible] पनाजी, वागाराम पुत्र शोभाजी, मुलाराम पुत्र तलाजी, भगाराम पुत्र खुमाजी, जी[illegible]म पुत्र गजाजी के मकान बने हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व [illegible] अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के अन्तर्गत तीनों तत्वों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के संबंध में किसी प्रकार विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है, जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किये जाने से पूर्व उक्त तीनों तत्वों के संबंध में विस्तृत विवेचन किया जाना आज्ञापक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत तीनों तत्वों के संबंध में किसी प्रकार का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वास्तविक वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना एवं जैर अपील आदेश के अन्तर्गत तीनों तत्वों प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के संबंध में विस्तृत विवेचन किये बिना रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है।

यह भी अवलोकनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 03.01.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में निम्नानुसार अंकन किया है ''प्रकरण में वर्णित भूमि को लेकर कोई अन्यथा विवाद न हो इस हेतु वादग्रस्त भूमि ग्राम डूंगरली के खसरा संख्या 100 रकबा 0.53 हैक्टेयर पर 50 गुणा 60 बराबर 3000 वर्गफीट पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किए जा रहे पक्के निर्माण कार्य को आगामी तारीख पेशी तक रोके जाने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जारी की जाती हैं।'' जबकि प्रकरण में दिनांक 14.05.2024 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश अनुसार ''न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2023 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश में किसी प्रकार की दखल न्यायसंगत नहीं हैं। लिहाजा वादग्रस्त भूमि ग्राम डूंगरली के खसरा नंबर 100, 101, 102, 138, 139, 140, 85, 87, 89, 99 कुल रकबा 12.84 हैक्टेयर के संबंध में मूल वाद के निर्णय तक दिनांक 03.01.2024 को जारी निषेधाज्ञा के आदेश को पुख्ता किया जाता है।'' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.01.2023 को केवल खसरा संख्या 100 के 3000 वर्गफीट भूभाग पर जारी की गई थीं, वहीं अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 14.05.2024 को वादग्रस्त संपूर्ण खसरान की भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी विवेचन एवं बिना किसी आधार के जारी की दी गई। केवल यह अंकन करते हुए कि निर्णय दिनांक 03.01.2023 को जारी निषेधाज्ञा आदेश को पुख्ता किया जाता है। यह भी अवलोकनीय है कि वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिस पर सहखातेदारान के आवासीय भवन, चारा एवं पशुशाला आदि पूर्व से निर्मित है, ऐसी स्थिति में किसी एक सहखातेदार जोकि स्वयं खसरा संख्या 100 का जरिये क्रेता सहखातेदार दर्ज [illegible] आवेदन पर अन्य सहखातेदारान को अपने आवासीय भवन के निर्माण/मरम्मत नहीं [illegible] के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। अतः प्रश्नगत आदेश किसी भी स्थिति [illegible] योग्य नहीं होने से हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 14.05.2024 एवं पूर्ववर्ती अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.01.2023 को अपास्त/निरस्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सारवान एवं बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाती हैं। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 03/2024 बअनवान घीसुलाल बनाम गोमाराम व अन्य में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.05.2024 एवं पूर्ववर्ती अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.01.2023 को अपास्त/निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2025.04.15 17:28:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner